



दिनांक 20.11.2020

प्रेस विज्ञप्ति-20/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर विस्तार

- 02 शातिर चोर गिरफ्तार
- लगभग 02 लाख रुपये कीमत के चोरी के आभूषण एवं चोरी के 72 हजार 500 रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक 20.11.2020 को थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 शातिर चोर 1- सनी उर्फ नवीन, 2- शुभम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख रुपये कीमत के सोने, व चाँदी के आभूषण, चोरी के 72 हजार 500 रुपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा थाना क्षेत्र गोमतीनगर विस्तार के भरवारा, विज्ञान खण्ड, खरगापुर तथा गोमतीनगर में कई चोरी की घटनाए कारित की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सनी उर्फ नवीन निवासी 529/914 रहीमनगर थाना महानगर लखनऊ।
- 2-सुभम निवासी सिकन्दरनगर तिलकमार्ग रोड, लक्ष्मण मेला ग्राउंड के सामने थाना हजरतगंज लखनऊ।

बरामदगी

- 1- लगभग 02 लाख रुपये कीमत के चोरी के आभूषण।
- 2- चोरी के 72 हजार 500 रुपये नगद आदि बरामद

जनपद बरेली / थाना भुता

- तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 50 लाख रू0 कीमत की 404 ग्राम हीरोइन
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस
- 01 मोटरसाइकिल, 03 मोबाइल फोन
- 3200 रू0 नगद आदि बरामद

दिनांक 20.11.2020 को थाना भुता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैकपुर पुलिसिया के पास से तीन शातिर अभियुक्तों 1-बृजेश 2-हरबीर 3-सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 50 लाख रू0 कीमत की 404 ग्राम हीरोइन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 मोटरसाइकिल, 03 मोबाइल फोन व 3200 रू0 नगद आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना भुता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-बृजेश निवासी सिमरा कैसोपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
- 2-हरबीर निवासी पउनगला थाना भुता जनपद बरेली।
- 3-सोनू निवासी फतेहपुर थाना मझला जनपद हरदोड़।

बरामदगी

- 1-50 लाख रू0 कीमत की 404 ग्राम हीरोइन।
- 2-02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।
- 3-01 मोटरसाइकिल, 03 मोबाइल फोन व 3200 रू0 नगद आदि।

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर

- 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- एक अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस।

दिनांक 20-11-2020 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली सदर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अपराधी लकी उर्फ रितुराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त लकी शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं, तथा अभियुक्त थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 403/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वाछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-लकी उर्फ रितुराज निवासी ग्राम भड़सर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1- एक अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस।

जनपद हरदोई /थाना सण्डीला

- 15 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, कारतूस बरामद

दिनांक 20.11.2020 को थाना सण्डीला व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काजी सराय मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी राधे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सण्डीला पर पंजीकृत मु0अ0सं0–479/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सण्डीला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

राधे निवासी ग्राम बिजौली थाना अतरौली जनपद हरदोई।

बरामदगी

01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद गाजीपुर/थाना भांवरकोल

● 15–15 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 20.11.2020 को थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माढूपुर मोड़ से 02 पुरस्कार घोषित अपराधी 1.धर्मेन्द्र, 2. विपिन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भांवरकोल पर पंजीकृत मु0अ0सं0–196/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धर्मेन्द्र निवासी भीमापार थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

2–विपिन निवासी गौरा थाना सादात जनपद गाजीपुर।

जनपद सहारनपुर/थाना नानौता

- लूट की घटना का अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट की 01 मोटर साइकिल व लूट का सामान लीनेव कम्पनी की माईक्रो एटीएम मशीन आदि बरामद,
 - 02 तमंचे 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस 02 खोखा कारतूस 315 बोर
 - 01 तमंचा 12 बोर 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर
 - घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल,

दिनांक 20-11-2020 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुख्ता ओलरा टिकरौल रोड़ ट्यूबेल के पास से 03 अभियुक्तो 1- सोनी, 2- अंकुश, 3- मांगा को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 02 तमंचे 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 तमंचा 12 बोर 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर, लूट की 01 मो0सा0 व लूटा गया सामान लीनेव कम्पनी की माईक्रो एटीएम आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा थाना क्षेत्र नानौता में लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 435/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद माल उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- सोनी निवासी ओलरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
- 2-अंकुश निवासी मित्रगढ़ थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
- 3-मांगा निवासी ओलरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

- 1- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।
- 2- 02 तमंचे 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
- 3- 01 तमंचा 12 बोर 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।
- 4- लूट की 01 मोटर साइकिल।
- 5- लूटा गया सामान लीनेव कम्पनी की माईक्रो एटीएम मशीन आदि बरामद।

जनपद खीरी/थाना धौरहरा (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 27 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद खीरी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त मनीराम उर्फ मन्नी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 27 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
